

ग्रेड,

सूर्य प्रकाश शर्मा,
सप्तसू अपर सिविल जज। जू० डि०।
गोण्डा।

सेवा में,

माननीय निबन्धन महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय इनाहावाट।

दवारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश
गोण्डा।

क्रिया:- रहायक अभियोजन अधिकारी की पूर्व सेवा को इस न्यायिक सेवा में जोड़ने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि मैं इस न्यायिक सेवा में आने से पूर्व रहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्यरत था। दिनांक 15/7/97 को पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वितीय मुराटावाट में उक्त पद पर प्रशिक्षण हेतु योग्यान दिया था और दिनांक 20/5/98 को जनपद पीलीभीत में पद स्थापित होकर दिनांक 2/8/99 तक रहा हूँ। मैंने श्रीमान् महानिदेशक अभियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की पूर्व अनुगति से उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा की परोपादी गौर भैरा यथा इस सेवा में हुआ, तदोपरान्त श्रीमान् महानिदेशक अभियोजन व उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ की अनुगति से कार्यमुक्त होकर दिनांक 3/8/99 को जनपद गोण्डा में ~~संपूर्ण~~ अपर सिविल जज। जू० डि०। के स्थ में कार्यालय ग्रहण किया। पैरान आटि के उद्देश्यों के लिए इस रहायक अभियोजन अधिकारी की सेवा को इस न्यायिक सेवा में जोड़ा जाना अवश्यक है।

अतः प्रार्थना है कि पूर्व में की गयी रहायक अभियोजन अधिकारी के उपरोक्त सेवा को इस न्यायिक सेवा में जोड़े जाने का आदेश पारित करने की दृष्टि करें।

12/1/2000

साठर,

संलग्नक-

- (1) कार्यालय ग्रहण पत्र की कोटो प्रति।
(2) रहायक अभियोजन अधिकारी सप्तसू अपर सिविल जज। जू० डि०।
के स्थ में कार्य मुक्त होने का प्रयास पत्र की कोटो प्रति।

प्रतिलिपि- संयुक्त संघिव उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊ।

12/1/2000

प्रैक.

देवी प्रसाद,
अनु तचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

तेवा में

महा विकास,
मा० उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

निवृत्ति अनुभाग-4

तारीख : दिनांक 15 अ०, 2001

विषय:- श्री सूर्य प्रकाश शर्मा, जूडिशियल मजिस्ट्रेट, गोण्डा की पूर्व विभाग में की गयी
तेवा को वर्तमान न्यायिक तेवा के ताथ गाना किये जाने के तंत्रमें।

=====

ग्रहोदय,

उपर्युक्त विषयक मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या-4961/4-
2024/रडमिन।र। दिनांक 4-4-2001 के तंत्रमें मुझे यह कहने का निक्षेप हुआ है कि
ती०स्त०आर० के नियम-4 के अनुसार पेंगन का दावा तेवा निवृत्ति के तम्भ लागू पेंगन
नियमों के आधार पर _____ रेंग्यूलेट होता है। अतएव जर्मी ते पेंगन की देखता की
दिक्का में निर्णय लेना प्रीमियोर होगा।

अतः श्री सूर्य प्रकाश शर्मा, जूडिशियल मजिस्ट्रेट गोण्डा की पूर्व/न्यायिक तेवा
की मूल तेवा पुस्तिका वापस की जाती है। कृपया उक्त तेवा गाना का प्रस्ताव
तेवा निवृत्ति के लगभग दो वर्ष पूर्व शासन को निस्तारण हेतु तंदर्भित करने का कट
करें। कृपया मूल तेवा पुस्तिका की प्राप्ति स्वीकार करें।

तारीख:-

पूर्व/न्यायिक तेवा की मूल तेवा
पुस्तिका। तंयुक्ता।

भवदीय,

संख्या-1163/11/दो-4-2001, बुद्धित्रुञ्ज ।

। देवी प्रसाद ।

अनु तचिव ।

उपरोक्त पत्र की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक शर्तवाही है।

प्रेषित :-

- 1- जनपद न्यायाधीश, गोण्डा ।
- ✓ 2- श्री सूर्य प्रकाश शर्मा, जूडिशियल मजिस्ट्रेट, गोण्डा ।

आशा है,


। देवी प्रसाद ।
अनु सृष्टि ।